

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 जनवरी 2021 — पौष 16, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 जनवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-13. — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 3 में, शब्द “या नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प” के पूर्व, शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये.
2. नियम 4 में, शब्द “या नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प” के पूर्व, शब्द “या ई-स्टाम्प” अंतःस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.